सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 39 राँची, शुक्रवार, 2 पौष, 1938 (श०) / 23 दिसम्बर, 2016 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

18 अक्टूबर, 2016

कृपया पढ़े :-

1. उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ का पत्रांक-185/जि०ग्रा०, दिनांक 25 जनवरी, 2012
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का संकल्प सं०-9200, दिनांक 19 अक्टूबर, 2015
3. श्री एहतेशामुल हक, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड का पत्रांक-228, दिनांक 19 मई, 2016

संख्या-5/आरोप-1-672/2014 का.-8940-- श्री सुनील कुमार, नं०-2, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-728/03, गृह जिला-राँची), के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजनगर के पद पर कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-185/जि०ग्रा०, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है। प्रपत्र- 'क' में श्री कुमार के विरूद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं:-

आरोप सं०-1- वित्तीय वर्ष 2006-07 में सरायकेला-खरसावाँ जिला अन्तर्गत राजनगर प्रखण्ड में सामाजिक सद्भावना उद्यान निर्माण के 12 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व आपको सौंपा गया था । उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर अनियमितता बरते जाने संबंधित आरोपों के मद्देनजर श्री चम्पाई सोरेन, माननीय स०वि०स० द्वारा विधान सभा में उठाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से उत्पन्न आश्वासन के आलोक में उच्च स्तरीय जाँच दल द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 2008 को किए गए स्थल जाँच में गंभीर भौतिक एवं वित्तीय अनियमितताएँ पायी गयी थी, संक्षिप्त ब्यौरा निम्नवत है:-

सामाजिक सद्भावना उद्यान, उलीडीह (कटंगा)- इसकी प्राक्कलित राशि 7,64,500.00 (सात लाख चौंसठ हजार पाँच सौ) रू० है । स्थल जाँच के क्रम में उक्त योजना में मापी विपत्र मात्र 89,205.00 (नवासी हजार दो सौ पाँच) रू० दर्ज है। जबकि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजनगर से जो अद्यतन ब्यौरा जाँच के क्रम में उक्त जाँच दल को उपलब्ध कराया गया था, के अनुसार व्यय की गयी राशि 5,70,233.00 (पाँच लाख सत्तर हजार दो सौ तैंतीस) रू० प्रतिवेदित था । इस योजना में चौकीदार के लिए शेड नहीं बना पाया गया था एवं पी०सी०सी० कर पिलर लगाने का जो प्रावधान योजना के प्राक्कलन में था, वह नहीं किया गया था । फलस्वरूप हाथ से हिला कर देखने के क्रम में हाथ लगाते ही पिलर हिलने लगा था, थोड़ा दबाव देने पर वह उखड़ सकता था । योजना की स्थिति काफी खराब थी । साथ ही योजना क्रियान्वयन में अन्य कई तकनीकी गड़बड़ियाँ भी थी ।

आरोप सं०-2- सामाजिक सद्भावना उद्यान, राजनगर- यह उद्यान राजनगर प्रखण्ड से मात्र 1.5 कि०मी० की दूरी पर अवस्थित है, जिकसी प्राक्कलित राशि 2,83,500.00 (दो लाख तिरासी हजार पाँच सौ) रू० है । उक्त योजना में अभिकर्त्ता को 1,07,500.00 (एक लाख सात हजार पाँच सौ) रूपया अग्रिम के रूप में दिया गया, जो अव्यवहृत रूप से अभिकर्त्ता के पास उपलब्ध था, बतौर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आपके द्वारा उक्त अव्यवहृत अग्रिम वसूली/समायोजन का कोई प्रयास नहीं किया गया था, स्थल जाँच के क्रम में पाया गया कि इस उद्यान का कार्य अत्यंत ही असंतोषप्रद है । मात्र कुछ सिमेंट पिलर मिट्टी में गाड़े गये थे, जो गिरे पाए गये । इसे फिक्स करने के लिए प्राक्कलन में जो पी०सी०सी० का प्रावधान किया गया था, की अनदेखी की गयी । उद्यान में जो पौधे लगाए गए थे, वे देखरेख के अभाव में सुख गये थे । अन्य किसी प्रकार का कार्य नहीं कराया गया, जबकि योजना में प्राक्कलन के मुताबिक कुल 25 मदों में राशि का व्यय होना था, जिसमें स्थल की सफाई, नींव की खुदाई, आर०सी०सी० पिलर पी०सी०सी० के साथ लगाना, घेराबन्दी में कंटीली तार लगाना, 10 फीट व्यास का कूप निर्माण, चापाकल का निर्माण, अस्थायी शेड का निर्माण, आम, अमरूद एवं अन्य इमारती लकड़ी का पौधारोपण इत्यादि शामिल है । इस योजना का मापी पुस्त भी नहीं भरा गया । इस हेतु आपके द्वारा (बतौर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजनगर) कोई भी प्रयास नहीं किया गया, जबकि यह योजना

प्रखण्ड मुख्यालय में ही अवस्थित है । इस प्रकार जाँच के दरम्यान यह योजना अत्यंत ही खराब स्थिति में पाई गयी थी ।

आरोप सं०-3- सामाजिक सद्भावना उद्यान, बड़ा कुनाबेड़ा- इस योजना की प्राक्कलित राशि 6,28,500.00 (छः लाख अठाईस हजार पाँच सौ) रू० है, योजना में जाँच की तिथि तक अभिकर्त्ता को 4,37,500.00 (चार लाख सैंतीस हजार पाँच सौ) रू० अग्रिम उपलब्ध करा दिया गया था। मापी के अनुसार 2,18,872.00 (दो लाख अठारह हजार आठ सौ बहतर) रू० व्यय किया गया है । शेष अग्रिम की राशि 2,18,628.00 (दो लाख अठारह हजार छः सौ अठाईस) रू० जो अभिकर्त्ता के पास अव्यवहन रूप से पड़ी थी, उसकी वसूली/समायोजन करने के लिए आपके द्वारा किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया। वृक्षारोपण का कार्य कराया गया था, जाँच दल को जाँच के क्रम में पता चला कि योजना स्थल की घेराबन्दी प्राक्कलन के अनुसार नहीं किए जाने के कारण कई स्थान पर घेराबन्दी टुटा हुआ पाया गया। फलस्वरूप पशुओं के द्वारा पौधा चरा हुआ प्रतीत हुआ था । उक्त उद्यान की रखवाली के लिए चौकीदार को रखा गया था, स्थल जाँच के क्रम में चौकीदार उपस्थित था । पूछताछ करने पर चौकीदार ने बताया था कि विगत 8 महीनों से मजदूरी भुगतान नहीं होने के कारण उसने उद्यान की रखवाली का कार्य छोड़ दिया । आपके द्वारा इस महत्वपूर्ण बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया । फलस्वरूप उद्यान की स्थिति खराब हुई । यहाँ चापाकल नहीं पाया गया और न ही चौकीदार का शेड ही बनाया गया था ।

आरोप सं०-4- सामाजिक सद्भावना उद्यान, कालाबाड़िया- इस योजना की प्राक्कलित राशि 7,64,500.00 (सात लाख चैंसठ हजार पाँच सौ) रू० है । इस योजना में अभिकर्त्ता को 5,87,500.00 (पाँच लाख सतासी हजारी पाँच सौ) रू० अग्रिम उपलब्ध करा दिया गया । अभिकर्त्ता के द्वारा मात्र 2,25,652.00 (दो लाख पच्चीस हजार छः सौ बावन) रू० का कार्य कराया गया, जो मापीपुस्त के आधार पर है । शेष 3,61,848.00 (तीन लाख इकसठ हजार आठ सौ अड़तालीस) रू० अभिकर्त्ता के पास अव्यवहृत रूप से पड़ा हुआ था, जिसकी वसूली के लिए आपके द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गयी । साथ ही उद्यान के शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए भी कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया । स्थल जाँच के क्रम में स्थल पर खम्भे लगे थे, जो प्रावधान के अनुसार नहीं थे एवं उसमें कंटीले तार नहीं लगाए गए थे । उद्यान की स्थिति काफी दयनीय थी, यहाँ पर भी चापाकल नहीं था और चौकीदार शेड भी नहीं पाया गया । इस प्रकार इस योजना में भी गंभीर अनियमितताएँ बरती गयी थी, जिनके ओर आपके द्वारा ध्यान नहीं दिया गया था ।

आरोप सं०-5- सामाजिक सद्भावना उद्यान, छेलकानी- इस योजना की प्राक्कलित राशि 3,04,500.00 (तीन लाख चार हजार पाँच सौ) रू० है, अभिकर्त्ता को 2,07,500.00 (दो लाख सात हजार पाँच सौ) रू० अग्रिम उपलब्ध कराया गया । मापी पुस्त के अनुसार 1,13,580.00 (एक लाख तेरह हजार पाँच सौ

अस्सी) रू० का कार्य किया गया । शेष राशि अभिकर्त्ता के पास अव्यवहृत रूप से पड़ी हुई थी, जिसकी वसूली की कार्रवाई आपके द्वारा नहीं की गयी । उद्यान में कुछ पौधे लगे पाए गये, जिसकी संख्या काफी कम थी । उक्त उद्यान तालाब से बल्कुल सटा रहने के कारण सीलन से पौधे मर गये थे । यहाँ पर भी चापानल अथवा चौकीदार शेड नहीं पाया गया । उद्यान की स्थिति अत्यंत ही दयनीय पायी गयी थी । इस प्रकार इस योजना के क्रियान्वयन में भी बरती गई गंभीर वित्तीय एवं भौतिक अनियमितताएँ की आपके द्वारा जानबूझकर अनदेखी की गयी थी ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०-9200, दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । श्री सिन्हा के अवधि समाप्ति पश्चात विभागीय संकल्प सं०-412, दिनांक 19 जनवरी, 2016 द्वारा श्री एहतेशामुल हक, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । श्री हक के पत्रांक-228, दिनांक 19 मई, 2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया । विभागीय कार्यवाही के दौरान श्री कुमार द्वारा आरोप के संबंध में दिये गये बचाव बयान निम्नवत् हैं:-

आरोप सं०-1 पर बचाव बयान-

आरोपी पदाधिकारी द्वारा कंडिकावार स्पष्टीकरण देने के पूर्व सामाजिक वानिकी योजना के पृष्ठभूमि की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है । नरेगा योजनान्तर्गत सामाजिक वानिकी योजना का क्रियान्वयन वर्षा ऋतु में कराया जाना था और इसके दो उद्देश्य थे- पहला-वर्षा ऋतु में जब नरेगा अन्तर्गत मिट्टी के अन्य कार्य नहीं किये जा सकते हैं तो मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने और उनका पलायन रोकने के लिए सामाजिक वानिकी की योजनाएँ ली गई। दूसरा- जब अन्य योजनाओं में इस मौसम में व्यय संभव नहीं है, तब प्रखण्ड के लिए नरेगा योजना अन्तर्गत जिला द्वारा कर्णांकित राशि का समुचित व्यय किया जा सके ।

इस योजना में पौधा रोपण के पश्चात् पौधों के शैशव काल में उनकी रख-रखाव एवं सुरक्षा अत्यंत आवश्यक होती है, इसलिए योजना के प्राक्कलन में ही पौधों को तीन वर्षों तक देखभाल करने का प्रावधान किया गया था । इसके लिए पौधों को तीन वर्षों तक नियमित सिंचाई करने, खाद देने, देखभाल के लिये नियमित चौकीदार , सुरक्षा के लिए कंटीले तार एवं ट्रेंच से घेराबन्दी की व्यवस्था की गयी थी तथा देखभाल के बावजूद यदि कुछ पौधे सूख जाते है, तो सूखे पौधे के स्थान पर नये पौधे लगाने का प्रावधान किया गया था ।

इनके द्वारा समय-समय पर परियोजनाओं का निरीक्षण किया जाता था और आवश्यक निदेश भी दिये जाते थे । देखभाल के बावजूद कुछ पौधे सूख जाते थे, जो उनके स्थान पर दूसरे पौधे

लगाने का निदेश इनके द्वारा दिया जाता था । संयुक्त सचिव महोदय द्वारा योजनाओं का निरीक्षण, पौधा रोपण के दो वर्षों के बाद तथा इनके स्थानान्तरण के आठ माह के बाद की गई थी । इनके स्थानान्तरण के बाद पौधों की देखभाल इनके उत्तराधिकारी पदाधिकारी को कराना चाहिए था, जैसा कि संयुक्त सचिव महोदय के जाँच प्रतिवेदन में भी इंगित किया गया है ।

कंडिकावार स्पष्टीकरण-सामाजिक सद्भावना उद्यान, उलीडीह

1. अव्यवहृत अग्रिम के समायोजन के लिए प्रयास नहीं करने के आरोप के संबंध में इनका कहना है कि योजना सं०-25/2006-07, सामाजिक सद्भावना उद्यान के अभिकर्त्ता श्री राधा महतो, पंचायत सेवक थे । प्रश्नगत योजना सं०- सं०-25/2006-07 में अभिकर्त्ता को दिनांक 5 सितम्बर, 2006 को प्रथम अग्रिम रू० 7500/- एवं दिनांक 8 सितम्बर, 2006 को द्वितीय अग्रिम रू० 1,00,000.00 दिया गया, जिसके विरूद्ध कनीय अभियंता द्वारा रू० 89,205.00 का 1st on A/C Bill समर्पित किया गया। अभिकर्त्ता को RCC Pillar एवं कंटीले तार, सिमेंट, कंक्रीट आदि खरीदने के लिए दिनांक 4 जनवरी, 2007 को कनीय अभियंता की अनुशंसा पर रू० 1,50,000.00 अग्रिम दिया गया और पुनः मजदूरी भुगतान हेतु कनीय अभियंता की अनुशंसा पर रू० 1,50,000.00 अग्रिम दिया गया । अभिकर्त्ता द्वारा सामग्री का अभिश्रव समर्पित नहीं किया गया था, इसलिए अभिकर्त्ता को उक्त योजना के असमायोजित राशि के विरूद्ध अभिश्रव एवं मस्टर Roll समर्पित करने हेतु ज्ञापांक-54/नरेगा, दिनांक 10 जुलाई, 2007 एवं ज्ञापांक-883, दिनांक 23 अक्टूबर, 2007 द्वारा नोटिस दिया गया था । साथ ही कनीय अभियंता, श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव को भी उक्त ज्ञापाकों से मापी विपत्र प्रस्तुत करने के लिए निदेश दिया गया था । अभिकर्त्ता द्वारा उक्त नोटिसों के अनुपालन में RCC Pillar, Barbed Wire आदि का अभिश्रव समर्पित किया गया और कनीय अभियंता द्वारा 2nd on A/C Bill रू० 4,81,018.00 का समर्पित किया गया । इस प्रकार कुल रू० 5,70,233.00 का मापी विपत्र कनीय अभियंता द्वारा समर्पित किया गया । अतः अभिकर्त्ता को दिए गए अग्रिम राशि का पूरी तरह से समायोजन हो गया है ।

2. पीलर को पी०सी०सी० करके फिक्स नहीं करने के आरोप के संबंध में इनका कहना है कि योजना के तकनीकी पहलुओं की देखरेख तकनीकी पदाधिकारियों यथा-कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा की जाती थी । तकनीकी पदाधिकारियों की देखरेख में योजना स्थल पर सभी आर०सी०सी० पीलरों को पी०सी०सी० करके फिक्स किया गया था । कनीय अभियंताओं द्वारा दिनांक 3 जून, 2007 को किये गये मापी के उपरान्त समर्पित मापी विपत्र में भी पी०सी०सी० किये जाने के तथ्य का इन्दराज है ।

3. अस्थायी शेड नहीं बनाने के आरोप के संबंध में इनका कहना है कि अस्थायी शेड/ झोपड़ी का निर्माण लकड़ी के चार बल्ली/बाँस तथा पुआल/त्रिपाल से कराया जाता था, जिसमें मजदूर

बैठते थे और पानी का घड़ा और मेडिकल किट रखा जाता था । पौधारोपण का कार्य जारी रहने तक अस्थायी शेड की उपयोगिता थी । अस्थायी शेड के निर्माण में 14,000.00 रूपये की लागत आती थी। योजना स्थल पर अस्थायी शेड/ झोपड़ी का निर्माण अभिकर्त्ता के द्वारा कराया गया था । इनके एवं कनीय अभियंता द्वारा योजना स्थल के निरीक्षण के दौरान झोपड़ी पाया गया था । इनके स्थानान्तरण के उपरान्त वर्षा या आँधी-तूफान में झोपड़ी के टुटने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है ।

आरोप सं०-2 पर बचाव बयान-सामाजिक सद्भावना उद्यान, राजनगर

1. अव्यवहृत अग्रिम की वसूली/ समायोजन के लिए प्रयास नहीं करने के आरोप के संबंध में इनका कहना है कि अभिकर्त्ता श्री विपिन बिहारी महतो, पंचायत सेवक से राजनगर में सामाजिक सद्भावना उद्यान निर्माण योजना सं०- 30/2006-07 में पौधा, जैविक खाद, आर०सी०सी० पीलर एवं कंटीले तार आदि क्रय करने एवं मजदूरी भुगतान हेतु अग्रिम राशि दी गयी थी, क्योंकि आर०सी०सी० पीलर एवं कंटीले तार खरीदने में बड़ी राशि की आवश्यकता थी । अभिकर्त्ता को रू० 1,07,500.00 में दी गई थी, जिससे उसके द्वारा पौधा, आर०सी०सी० पीलर, कंटीले तार, सिमेंट आदि क्रय किया गया था और पौधारोपण किया गया, परन्तु उसके द्वारा उक्त सामग्रियों का अभिश्रव जमा नहीं किया गया था । साथ ही कनीय अभियंता द्वारा भी किए गए कार्यों का विपत्र समर्पित नहीं किया गया था । अभिकर्त्ता एवं कनीय अभियंता को इसके लिए बार-बार कहा जाता था । अभिकर्त्ता एवं कनीय अभियंता को असमायोजित राशि के समायोजन हेतु कार्यालय ज्ञापांक-53/ नरेगा, दिनांक 10 जुलाई, 2007, ज्ञापांक-884, दिनांक 23 अक्टूबर, 2007 तथा ज्ञापांक-1037, दिनांक 12 दिसम्बर, 2007 द्वारा नोटिस दिया गया था, जिसके उपरान्त अभिकर्त्ता द्वारा पौधा, जैविक खाद, आर०सी०सी० पीलर, कंटीले तार आदि का अभिश्रव तथा मस्टर Roll समर्पित किया गया था ।

2. पौधे देखरेख के अभाव में कुछ पौधे सूख जाने के आरोप के संबंध में इनका कहना है कि इनके निरीक्षण के दौरान पौधे अच्छी स्थिति में थे । गर्मी के दिनों में कुछ पौधे सूख गये थे, जिन्हें इनके द्वारा बदलने का निदेश दिया गया था और बरसात में उन स्थानों पर दूसरे पौधे लगा दिये गये थे । पौधेरोपण के बाद पौधे की नियमित सिंचाई एवं देखरेख के लिए एक मजदूर रखने का प्रावधान था । इनके स्थानांतरण के उपरान्त नियमित सिंचाई एवं देखरेख के अभाव में पौधे सूखे होगें। साथ ही जो पौधे सूखे, उसके बदले नए पौधे लगाना चाहिए था । इस संबंध में इनके उत्तराधिकारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से पृच्छा की जा सकती है ।

3. चापाकल नहीं लगाने के संबंध में इनका कहना है कि योजना स्थल के समीप तालाब है, जिससे पौधों की समुचित सिंचाई की जाती है । इसी वजह से चापाकल नहीं गड़वाया गया था। कनीय अभियंता द्वारा चापाकल का कोई विपत्र भी नहीं बनाया गया था और न ही चापाकल के मद

में कोई राशि की निकासी की गई थी । योजना के प्राक्कलित राशि की मात्र एक तिहाई राशि की व्यय की गई थी । शेष उपलब्ध दो तिहाई राशि से योजना का क्रियान्वयन इनके उत्तराधिकारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को कराना चाहिए था ।

आरोप सं०-3 पर बचाव बयान-सामाजिक सद्भावना उद्यान, बड़ाकुनाबेड़ा

1. अव्यवहृत अग्रिम की वसूली/समायोजन के लिए प्रयास नहीं करने के आरोप के संबंध में इनका कहना है कि योजना सं०-24/2006-07 के अभिकर्त्ता श्री गोरा चान्द महतो थे । उन्हें दिनांक 5 सितम्बर, 2006 को प्रथम अग्रिम 7,500.00 रू० एवं द्वितीय अग्रिम 1,00,000.00 रू० दिनांक 8 सितम्बर, 2006 को दिया गया । अभिकर्त्ता द्वारा पौधारोपण का कार्य आरम्भ कर दिया गया था। पुनः दिनांक 17 अक्टूबर, 2006 को झोपड़ी निर्माण एवं ट्रेन्च की खुदाई, मजदूरी भुगतान के लिए रू० 1,00,000.00 अग्रिम का आवेदन दिया गया, जिस पर कनीय अभियंता की अनुशंसा पर मजदूरी भुगतान हेतु रू० 80,000.00 अग्रिम दिया गया । कार्य की प्रगति लाने एवं आर०सी०सी० पीलर, कंटीले तार, सिमेंट आदि क्रय करने के लिए एवं मजदूरी भुगतान हेतु कनीय अभियंता की अनुशंसा पर दिनांक 29 दिसम्बर, 2006 को 1,00,000.00 रू० अग्रिम दिया गया । इसके उपरान्त कनीय अभियंता द्वारा कुल 2,18,872.00 रू० का समर्पित 1st on A/C Bill समर्पित किया गया । तब तक उनके द्वारा रू० 2,87,500.00 अग्रिम प्राप्त किया गया था । उनके पास रू० 68,628.00 वसूलनीय था । परन्तु कार्य जारी था और कार्य की प्रगति, मजदूरी भुगतान एवं सामग्री भुगतान करने हेतु अभिकर्त्ता के आवेदन पर कनीय अभियंता की अनुशंसा पर रू० 1,50,000.00 अग्रिम किया गया । परन्तु उनके द्वारा किए गए कार्य का मापी विपत्र कनीय अभियंता द्वारा प्रस्तुत नहीं करने की वजह से उनके पास कुल रू० 2,18,628.00 असमायोजित रह गए थे । योजना में लिए गए अग्रिम के समायोजन के लिए अभिकर्त्ता श्री गोरा चान्द महतो, पंचायत सेवक को सप्ताहिक बैठकों में निदेश दिया जाता था और उनको इसके लिए बड़ाकुनाबेड़ा में सामाजिक सद्भावना उद्यान निर्माण योजना सं०-24/06-07 में (1) ज्ञापांक-55/नरेगा, दिनांक 10 जुलाई, 2007 (2) ज्ञापांक-882, दिनांक 23 अक्टूबर, 2007 (3) ज्ञापांक-1035, दिनांक 12 दिसम्बर, 2007 नोटिस दिया गया था । साथ ही कनीय अभियंता को योजना में किए गए कार्यों का अद्यतन मापी विपत्र प्रस्तुत करने के लिए उक्त ज्ञापांकों द्वारा नोटिस दिया गया था । नोटिस प्राप्त करने के उपरान्त ही अभिकर्त्ता द्वारा आर०सी०सी० पीलर, कंटीले तार आदि का अभिश्रव कार्यालय में समर्पित किया गया था । इसके उपरान्त श्री गोरा चान्द महतो द्वारा सिमेंट, बालू, चिप्स का रू० 60,228.00, कंटीले तार का रू० 47,880.00 तथा आर०सी०सी० पीलर का रू० 93,075.00 का अभिश्रव समर्पित किया गया । कनीय अभियंता द्वारा किए गए कार्यों का इनके स्थानान्तरण के बाद इनके उत्तराधिकारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को कराना चाहिए था ।

2. घेराबन्दी कई स्थानों पर टुटा हुआ पाये जाने के संबंध में इनका कहना है कि इस उद्यान की घेराबन्दी प्राक्कलन के अनुरूप कनीय अभियंता की देखरेख में कराई गई थी । कनीय अभियंताओं द्वारा योजना कार्य की मापी दिनांक 15 मार्च, 2007 को करने के उपरान्त समर्पित मापी विपत्र के क्रमांक-9 में कंटीले तार के द्वारा घेराबन्दी का इन्दराज किया गया है । इनके द्वारा योजना का निरीक्षण दिनांक 28 अप्रैल, 2007 को किया गया था, जिसके दौरान मैंने कंटीले तार से घेराबन्दी को समुचित अवस्था में पाया था । इनका यह भी कहना है कि इनके स्थानान्तरण के पश्चात संभवतः घेराबन्दी टुटा होगा, जिसके लिए इन्हें जिम्मेवार ठहराना न्यायसंगत नहीं होगा ।

3. चौकीदार को विगत आठ महीनों से मजदूरी भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में इनका कहना है कि योजना स्थलों की जाँच इनके स्थानांतरण के आठ महीने के बाद संयुक्त सचिव द्वारा किया गया था । अतः इसके लिए इन्हें जिम्मेवार ठहराया जाना समुचित प्रतीत नहीं होता है। इनके पदस्थापन अवधि में चौकीदार श्री अनन्त महतो को नियमित मजदूरी भुगतान किया गया था और उसका अभिश्रव भी अभिकर्त्ता के द्वारा कार्यालय में समर्पित किया गया था ।

4. चापाकल नहीं लगाये जाने के आरोप के संबंध में इनका कहना है कि अभिकर्त्ता द्वारा बताया गया था कि योजना स्थल तक जाने के लिए पहुँच पथ नहीं था, जिसकी वजह से बोरिंग मशीन वाली गाड़ी योजना स्थल तक ले जाना संभव नहीं था । यहाँ यह उल्लेख करना समुचित होगा कि कनीय अभियंता द्वारा बताया गया था कि योजना स्थल के पास एक तालाब स्थित है, जिससे पौधों की समुचित सिंचाई हो रही है और चापाकल लगाया जाना आवश्यक नहीं है ।

5. चौकीदार शेड नहीं बनाये जाने के संबंध में इनका कहना है कि नरेगा के प्रावधान के अन्तर्गत योजना में कार्यरत मजदूरों के लिए अभिकर्त्ता द्वारा झोपड़ी का निर्माण कराया गया था और इसका रू० 14,716/- का अभिश्रव भी समर्पित किया गया था । इनके, कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा योजना स्थल के निरीक्षण के दौरान झोपड़ी पाया गया था ।

आरोप सं०-4 पर बचाव बयान-सामाजिक सद्भावना उद्यान, कालाबाड़िया-

1. योजना सं०-22/2006-07 सामाजिक सद्भावना उद्यान, कालाबाड़िया के निर्माण के अभिकर्त्ता श्री गोरा चान्द महतो थे । उन्हें प्रथम एवं द्वितीय अग्रिम क्रमशः 7,500.00 एवं रू० 1,00,000.00 दिया गया, जिसके उपरान्त पौधा, जैविक खाद एवं सूचना बोर्ड का क्रय किया एवं अस्थायी झोपड़ी का निर्माण कर पौधारोपण का कार्य सम्पन्न किया गया । दिनांक 10 अक्टूबर, 2016 को कनीय अभियंता की अनुशंसा पर रू० 80,000.00 अग्रिम दिया गया, जिसके उपरान्त अभिकर्त्ता द्वारा उद्यान के चारों ओर Trench cutting करायी गई एवं मजदूरी भुगतान किया गया। मेरे द्वारा 7 दिसम्बर, 2006 को स्थल निरीक्षण करने पर Trench काम पूर्ण पाया गया था और योजना स्थल पर आर०सी०सी० पीलर पाए गए थे । अभिकर्त्ता को दिनांक 29 दिसम्बर, 2006 को सिमेंट, बालू, मिट्टी

आदि क्रय करने हेतु रू० 1,00,000.00 अग्रिम दिया गया । दिनांक 6 जनवरी, 2007 को योजना स्थल के निरीक्षण के दौरान Barbed Wire से किए गए fencing का कार्य सम्पन्न हुआ पाया गया था, जो Site Register पर दिए गए comment से स्पष्ट है । दिनांक 20 फरवरी, 2007 को आर०सी०सी० पीलर आदि सामग्री के भुगतान हेतु रू० 1,00,000.00 अग्रिम दिया गया । दिनांक 13 मार्च, 2007 को कंटीले तार एवं मजदूरी भुगतान हेतु रू० 1,00,000.00 अग्रिम भुगतान किया गया । कनीय अभियंता द्वारा कार्यों का मूल्यांकन कर रू० 2,25,652 रू० 1st on A/C Bill प्रस्तुत किया गया । योजना स्थल पर रखे गए चौकीदार के मजदूरी भुगतान हेतु दिनांक 17 मई, 2007 को रू० 1,00,000.00 अग्रिम भुगतान किया गया । कनीय अभियंता द्वारा 2nd on A/C Bill प्रस्तुत करने तथा अभिकर्त्ता को आर०सी०सी० पीलर, कंटीले तार, सिमेंट, बालू आदि का अभिश्रव प्रस्तुत नहीं करने के वजह से रू० 3,61,848.00 असमायोजित रह गई थी । इसके लिए अभिकर्त्ता को बार-बार निर्देश दिया गया। अभिकर्त्ता श्री गोरा चान्द महतो, पंचायत सेवक से अव्यवहृत अग्रिम की वसूली के लिए कालाबड़िया ग्राम में सामाजिक सद्भावना उद्यान निर्माण योजना सं०-22/2006-07 में ज्ञापांक-55/ नरेगा, दिनांक 10 जुलाई, 2007, ज्ञापांक-882, दिनांक 23 अक्टूबर, 2007 तथा ज्ञापांक-1035, दिनांक 12 दिसम्बर, 2007 से नोटिस जारी किया गया था । कनीय अभियंता को योजना की मापी कर मापी विपत्र समर्पित करने के लिए उक्त ज्ञापांकों द्वारा नोटिस दिया गया था, जिसके उपरांत अभिकर्त्ता द्वारा सिमेंट, बालू आदि का 60,052, आर०सी०सी० पीलर का रू० 93,075.00, कंटीले तार का रू० 47,850, झोपड़ी का रू० 14,816.00, बोर्ड का 1,500.00 का अभिश्रव कार्यालय में समर्पित किए गए ।

2. पीलर में कंटीले तार नहीं लगाने के आरोप के संबंध में इनका कहना है कि योजना स्थल में लगाये गये पीलरों में कंटीले तार लगाकर घेराबन्दी की गई थी । कनीय अभियंता द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर, 2006 को समर्पित 1st on A/C Bill में इस कार्य का विपत्र भी समर्पित किया गया है। इनके स्थानांतरण होने तक कंटीले तार की घेराबन्दी सही हालत में थे । स्थल पंजी में भी इस संबंध में उल्लेख है । इनके स्थानांतरण के बाद संभवतः कंटीले तार की घेराबन्दी टुटी होगी, जिसकी मरम्मति इनके उत्तराधिकारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को करना चाहिए था ।

3. चापाकल नहीं लगाने के संबंध में इनका कहना है कि अभिकर्त्ता द्वारा बताया गया था कि योजना स्थल के समीप स्थित नाला से पौधे की समुचित सिंचाई हो जाती है, इस वजह से अभिकर्त्ता द्वारा चापाकल नहीं गड़वाया गया था । यहाँ यह उल्लेख करना समुचित होगा कि चापाकल गड़वाने के मद में न तो किसी राशि की निकासी की गई थी और न ही भुगतान किया गया था ।

4. चौकीदार शेड का निर्माण नहीं कराने के संबंध में इनका कहना है कि अभिकर्त्ता द्वारा झोपड़ी का निर्माण कराया गया था और उसका अभिश्रव (रू० 14,816/-) भी समर्पित किया गया था ।

इनके स्थल निरीक्षण के दौरान भी झोपड़ी पाया गया था । Site Register में भी इस संबंध में टिप्पणी अंकित है ।

आरोप सं०-5 पर बचाव बयान-सामाजिक सद्भावना उद्यान, छेलखानी-

1. सामाजिक सद्भावना उद्यान, छेलखानी योजना सं०-21/2006-07 के अभिकर्त्ता श्री गोरा चान्द महतो थे। उन्हें दिनांक 5 सितम्बर, 2006 को प्रथम अग्रिम रू० 7,500.00, दिनांक 8 सितम्बर, 2006 को द्वितीय अग्रिम रू० 50,000.00 तथा दिनांक 19 दिसम्बर, 2006 को तृतीय अग्रिम रू० 50,000.00 दिया गया था । अभिकर्त्ता को अग्रिम कनीय अभियंता की अनुशंसा एवं योजना स्थल का दिनांक 7 दिसम्बर, 2006 को किए गए निरीक्षण के उपरांत दिया गया था । सामग्री एवं Site Ragistar पर अंकित निर्देश से इसकी परोक्ष रूप से सम्पुष्टि होती है । कनीय अभियंता द्वारा योजना 1st on A/C Bill रू० 1,13,580.00 का दिनांक 18 फरवरी, 2007 को प्रस्तुत किया गया था । कुछ राशि असमायोजित रह जाने पर भी मजदूरी भुगतान हेतु दिनांक 17 मई, 2007 को रू० 50,000.00 अग्रिम दिया गया । अभिकर्त्ता से अग्रिम की वसूली नहीं करने के संबंध में कहना है कि अभिकर्त्ता गोरा चान्द महतो, पंचायत सेवक से अग्रिम की वसूली हेतु छेलखानी ग्राम में सामाजिक सद्भावना उद्यान निर्माण योजना सं०-21/06-07 में ज्ञापांक-55/नरेगा, दिनांक 10 जुलाई, 2007, ज्ञापांक-882, दिनांक 23 अक्टूबर, 2007 तथा 1035, दिनांक 12 दिसम्बर, 2007 से तीन नोटिस जारी किये गये थे । इसके आलोक में अभिकर्त्ता द्वारा योजनाओं से संबंधित अभिश्रव (पौधा रू० 4,370.00, जैविक खाद रू० 7,000.00, झोपड़ी रू० 14,266.00, आर०सी०सी० पीलर रू० 40,150.00 Barbed wire रू० 13,398.00 एवं सिमेंट-बालू-चिप्स रू० 27,386.00) एवं मस्टर roll समर्पित किया गया था। इस प्रकार योजना में दिए गए अग्रिम का अभिश्रव के माध्यम से समायोजन हो जाता है । शेष बचे हुए लगभग 1,00,000.00 रू० की राशि से आगे काम कराया जाना चाहिए था ।

2. उद्यान में कुछ पौधे लगे पाये जाने के आरोप के संबंध में इनका कहना है कि योजना स्थल पर प्राक्कलन के अनुरूप पौधा लगाये गये थे । कनीय अभियंता के द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2007 को समर्पित 1st on A/C Bill में भी इसका इन्दराज है। इनके एवं सहायक अभियंता द्वारा स्थल निरीक्षण में भी पौधे लगे हुए पाए गए थे । योजना का कार्य तीन वर्षों तक चलना था और इस दौरान नष्ट हुए सूखे पौधों के स्थान पर नये पौधेरोपण का प्रावधान था । स्थल निरीक्षण के दौरान सूखे पौधे के स्थान पर नया पौधा लगाने के लिए अभिकर्त्ता को निदेश दिये गये थे । स्थल पंजी में इस संबंध में निदेश दिये गये थे । इनके स्थानांतरण के उपरांत सूखे पौधे के बदले नये पौधों को लगाने की जिम्मेवारी इनके उत्तराधिकारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की थी ।

3. चापाकल नहीं लगाने के आरोप के संबंध में इनका कहना है कि योजना स्थल से सटा हुआ तालाब अवस्थित था, जिसकी वजह से चापाकल अभिकर्त्ता द्वारा नहीं गड़वाया गया था। यहाँ

यह उल्लेख करना समुचित होगा कि कनीय अभियंता द्वारा चापाकल का न तो विपत्र बनाया गया था न ही इनके द्वारा कोई भुगतान किया गया था ।

4. चौकीदार शेड नहीं बनाने के संबंध में इनका कहना है कि जब योजना कार्य जारी था, तब अभिकर्त्ता द्वारा अस्थायी झोपड़ी का निर्माण कराया गया था और इसका (रू० 14,816/-) अभिश्रव भी समर्पित किया गया था । इनके, कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा योजना स्थल के निरीक्षण के दौरान झोपड़ी पाया गया था । योजनाओं में अग्रिम भुगतान के पूर्व सम्पादित कार्य का व्यौरा प्राप्त नहीं करने के आरोप के संबंध में इनका कहना है कि पौधारोपण की योजना में आर०सी०सी० पीलर, कंटीले तार, सिमेंट आदि क्रय करने के लिए बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता थी, साथ ही मजदूरों का कोई मजदूरी बकाया न रहे, इसके लिए अग्रिम दिया जाना आवश्यक था। योजनाओं में कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा पूर्व में लिए गए अग्रिम के विरूद्ध समर्पित 1st on A/C Bill, मजदूरों को किये गये मजदूरी भुगतान का मस्टर Roll, योजनाओं में उपयोग किये गये सामग्री (यथा- पौधा, जैविक खाद, छोटे औजार, आर०सी०सी० पीलर, कंटीले तार, झोपड़ी, सूचना बोर्ड, सिमेंट, बालू आदि) के लिए अभिश्रव तथा कनीय अभियंताओं एवं सहायक अभियंताओं के द्वारा अगले अग्रिम दिने की स्पष्ट अनुशंसा के आलोक में ही अगला अग्रिम दिया जाता था । इसके अलावा सहायक अभियंता के साथ इनके द्वारा योजनाओं का समय-समय पर निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन भी किया जाता था । सहायक अभियंता, कनीय अभियंता एवं इनके द्वारा भ्रमण के दौरान योजनाओं के Site Register पर कतिपय निदेश भी अंकित किए जाते थे, जिससे यह बात परोक्ष रूप से प्रमाणित होती है कि इनके द्वारा योजनाओं का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता था ।

योजनाओं की गुणवत्ता का ध्यान नहीं देने के आरोप के संबंध में इनका कहना है कि तकनीकी पदाधिकारियों के द्वारा योजना के तकनीकी पहलुओं की जाँच एवं देखरेख की जाती थी एवं उनके द्वारा कभी भी गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन नहीं दिया गया और इनके द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान इन्हें योजनाओं का निरीक्षण तत्कालीन उपायुक्त महोदय एवं उप विकास आयुक्त द्वारा की गयी थी तथा उनके द्वारा भी योजनाओं के गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई थी । साथ ही जनवरी, 2007 में National Level Monitor द्वारा इन योजनाओं का निरीक्षण किया गया था और योजनाओं के क्रियान्वयन को संतोषजनक बताया गया था । योजनाओं का निरीक्षण तत्कालीन उपायुक्त, उप विकास आयुक्त एवं National Level Monitor द्वारा किये जाने की पुष्टि उप विकास आयुक्त के पत्रांक-1269/जि०ग्रा०, दिनांक 21 जुलाई, 2012 से होती है, परन्तु उन लोगों के निरीक्षण प्रतिवेदन की छायाप्रति इन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया और इन्हें उक्त पत्र द्वारा इस आशय की सूचना दी गयी ।

योजना में ज्यादा ली गई राशि की वापसी के लिए कोई कार्रवाई नहीं करने के आरोप के संबंध में कहना है कि अव्यवहृत अग्रिम राशि वापस करने के लिए इनके द्वारा यथासंभव प्रयास किया गया । इसके लिए अभिकर्त्ता श्री बिपिन बिहारी महतो को ज्ञापांक-53/नरेगा, दिनांक 10 जुलाई, 2007, ज्ञापांक- 884, दिनांक 23 अक्टूबर, 2007 तथा 1037, दिनांक 12 दिसम्बर, 2007 से अभिकर्त्ता श्री राधा महतो को ज्ञापांक-54/नरेगा, दिनांक 10 जुलाई, 2007 तथा ज्ञापांक-883, दिनांक 23.10.2007 से तथा अभिकर्त्ता श्री गोरा चान्द महतो को ज्ञापांक-55/नरेगा, दिनांक 10 जुलाई, 2007, ज्ञापांक-882, दिनांक 23 अक्टूबर, 2007 तथा ज्ञापांक-1035, दिनांक 12 दिसम्बर, 2007 से नोटिस किया गया था ।

योजनाओं के क्रियान्वयन के उपरान्त मस्टर Roll और अभिश्रव अभिकर्त्ताओं द्वारा जमा नहीं किए गए थे, जिसके लिए उन्हें कई बार नोटिस दिए गए, जिसके उपरान्त उनके द्वारा अभिश्रव समर्पित किए गए । कनीय अभियंता द्वारा कुछ योजनाओं में अद्यतन विपत्र नहीं पस्तुत किए गए, जिसके लिए कनीय अभियंता को भी उपर्युक्त सभी ज्ञापांकों से तथा ज्ञापांक-915, दिनांक 30 अक्टूबर, 2007 से योजनाओं के अद्यतन विपत्र प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किये गये थे तथा इसकी सूचना उप विकास आयुक्त को भी दी गयी थी ।

योजनाओं का स्थल निरीक्षण सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा पौधारोपण के दो वर्षों के बाद तथा इनके स्थानांतरण के आठ माह बाद की गई थी और उस दौरान पायी गयी कमियों के लिए इन्हें जिम्मेदार ठहराना न्यायसंत नहीं होगा । योजना का कार्य तीन वर्षों तक कराया जाना था । कोई भी योजना पूर्ण नहीं हुई थी और उसका अंतिम भुगतान कर योजना अभिलेख बंद नहीं किए गए थे। इनके स्थानांतरण के पश्चात् योजना कार्य में पायी गई छोटी-मोटी त्रुटियाँ जैसे-घेराबन्दी की कुछ स्थानों पर टुटना, कुछ पौधा का सूखना आदि के सुधार के लिए इनके उत्तराधिकारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए था, जिस पर उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से संयुक्त सचिव द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान योजनाओं में कुछेक कमियाँ पायी गयी ।

कनीय अभियंता द्वारा मापी विपत्र तैयार नहीं करने के कारण कुछ अग्रिम राशि असमायोजित रह गई, जबकि वास्तविकता यह है कि योजना स्थल पर RCC पीलर, Barbed Wire, सिमेंट, कंक्रीट, बालू आदि का उपयोग करते हुए कार्य सम्पादित किया गया था । उक्त योजनाओं में सम्पादित किए गए कार्यों का भौतिक निरीक्षण तत्कालीन उप विकास आयुक्त, उपायुक्त एवं National Level Monitor के द्वारा भी किया गया था । इनके द्वारा स्पष्टीकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए लगाये गये आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है ।

संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में निम्नवत् मंतव्य दिये गये हैं-

आरोप सं०-1 पर मंतव्य- आरोपी पदाधिकारी का बचाव बयान एवं इस पर उपायुक्त का मंतव्य स्वतः स्पष्ट है । आरोप से संबंधित जाँच प्रतिवेदन के अतिरिक्त कोई अन्य साक्ष्य/गवाही प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो अपर्याप्त है । दूसरी ओर आरोपी पदाधिकारी द्वारा अग्रिम के समायोजन हेतु किये गये प्रयास से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं । अभिकर्त्ता एवं कनीय अभियंता को तीन नोटिस दिये गये थे। मापी पुस्तिका की छायाप्रति से स्पष्ट होता है कि अग्रिम पूरी तरह से समायोजित हो गया है । आरोप के अन्य बिन्दु पर उपायुक्त का मंतव्य स्वतः स्पष्ट है। अतः आरोपी पदाधिकारी का बचाव बयान स्वीकार योग्य है ।

आरोप सं०-2 पर मंतव्य- आरोपी पदाधिकारी का बचाव बयान एवं इस पर उपायुक्त का मंतव्य स्वतः स्पष्ट है । असमायोजित राशि के समायोजन हेतु अभिश्रव जमा करने अन्यथा अग्रिम की वसूली की कार्रवाई हेतु तीन नोटिस भेजे जाने का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है । इससे स्पष्ट होता है कि इस दिशा में प्रयास किया गया है । आरोप के अन्य बिन्दु पर भी उपायुक्त का मंतव्य स्वतः स्पष्ट है, जो स्वीकार योग्य है ।

आरोप सं०-3 पर मंतव्य- आरोपी पदाधिकारी का बचाव बयान स्वतः स्पष्ट है, जो स्वीकार योग्य है ।

आरोप सं०-4 पर मंतव्य- आरोपी पदाधिकारी का बचाव बयान स्वतः स्पष्ट है, जो स्वीकार योग्य है ।

आरोप सं०-5 पर मंतव्य- आरोपी पदाधिकारी का बचाव बयान स्वतः स्पष्ट है, जो स्वीकार योग्य है। प्रासंगिक योजनाएँ 2006-07 में स्वीकृत हुई। स्पष्ट है कि योजनाओं का कार्यारम्भ वर्ष 2006-07 में ही हुआ होगा । आरोपित पदाधिकारी का राजनगर प्रखण्ड में कार्यकाल 31 दिसम्बर, 2007 तक था। योजना का स्थल जाँच दिनांक 30 जुलाई, 2008 को किया गया । इस अन्तराल में योजना की स्थिति में कुछ परिवर्तन यथा पौधो का सूख जाना, अस्थायी रूप से निर्मित शेड का अस्थायी/स्थायी रूप से समाप्त हो जाना इत्यादि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है । योजनाओं के कार्यान्वयन एवं रख-रखाव एक टीम आधारित सतत प्रक्रिया है, जिस पर टीम के सभी सदस्य का दायित्व बनता है। मात्र एक व्यक्ति को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है । आरोपी पदाधिकारी के स्थानांतरण के पश्चात इसका दायित्व उनके प्रतिस्थानी का भी बनता है । आरोपी पदाधिकारी के बचाव बयान एवं इससे संबंधित दिये गये साक्ष्य से स्पष्ट है कि अग्रिम के समायोजन के संबंध में प्रयास किया गया है । संबंधित कर्मी को कई नोटिस भेजे गये । कुछ योजनाओं में अग्रिम का पूर्ण समायोजन किया गया है। सत्संबंधी साक्ष्य भी प्रस्तुत किया गया है । लगाया गया आरोप साक्ष्य आधारित नहीं है । बिन्दुवार बचाव बयान पर उपायुक्त का मंतव्य स्वतः स्पष्ट है । इस आलोक में आरोपी पदाधिकारी का बचाव बयान स्वीकार योग्य प्रतीत होता है ।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी । समीक्षा में पाया गया कि श्री कुमार द्वारा योजनाओं में बिना

कार्य किये बार-बार अग्रिम राशि का भुगतान किया गया है, जिसके कारण अग्रिम राशि अव्यवहृत रूप में अभिकर्त्ता के पास रह गयी । इनके द्वारा योजनाओं की क्रियान्वयन में अनियमितता बरती गयी है।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के लिए **झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत् इनकी दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड इन पर अधिरोपित किया जाता है ।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिलीप तिर्की,
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 39--50